



सत्यमेव जयते

कार्यालय / Office

कार्मिक विभाग, रायपुर मंडल / Deptt. of Personnel, Raipur Division
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / South East Central Railway
दू.भा. / Tele : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT) फैंक्स / Fax : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT)

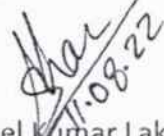
No: E/ PB/ R/ STORE/ 2017/ 09

Date: 11.08.2022

NOTIFICATION

It is to notify all concerned that application forms are invited for the "Outsourcing of management of Railway Staff Canteen at DRM Office Complex, Raipur for one year from 01.10.2022 to 30.09.2023" duly providing tea, breakfast and food etc, as per prescribed rules and regulation. Format of application form and rules of operating canteen can be obtained/ submit to Store Section of Sr DPO/ Raipur's Office as follows –

1. Application form can be obtained from 20.08.2022 to 15.09.2022 (on every working days) from 10.00 Hrs to 17.00 Hrs and up to 15.00 Hrs on 16.09.2022 from Store Section of Sr DPO/ Raipur's office of SECR/ Raipur Division. Applications may also be viewed and downloaded from the official website of Indian Railways www.secr.indianrailways.gov.in > Dept./Div. of SECR -> DIVISIONS -> RAIPUR -> PERSONNEL -> NOTIFICATION on specified days.
2. Application forms can be submitted at the Tender Box placed with the Store Section of Sr DPO/ Raipur's office of SECR/ Raipur Division from 20.08.2022 to 15.09.2022 (Office Hrs) up to 16.09.2022 at 15.00 hrs.
3. Application forms submitted after 16.09.2022 at 15.00 Hrs will not be considered.
4. Tenders will be opened on 16.09.2022 at 15.30 Hrs.


(Susheel Kumar Lakra)
Asstt. Personnel Officer-I
For Sr Divisional Personnel Officer



सत्यमेव जयते

कार्यालय / Office
कार्मिक विभाग, रायपुर मंडल / Deptt. of Personnel, Raipur Division
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / South East Central Railway
दू.भा. / Tele : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT) फैंक्स / Fax : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT)

क्र. ई/पी.वी./आर/भंडार/2017/09

दिनांक: 11.08.2022

अधिसूचना

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रायपुर परिसर में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमों/ शर्तों के तहत चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हेतु रेलवे कर्मचारी कैंटीन के बाहरी (आउटसोर्सिंग) माध्यम से एक वर्ष दिनांक 01.10.2022 से 30.09.2023 तक संचालन हेतु निविदा (ओपन टेंडर) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं कैंटीन संचालन के नियम इत्यादि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल के कार्मिक विभाग/ भंडार अनुभाग से निम्नानुसार प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है।

1. आवेदन पत्र - आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2022 से 15.09.2022 तक प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 17.00 बजे तक एवं दिनांक 16.09.2022 को 15.00 बजे तक वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय, रायपुर के भंडार अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को द.पू.म.रेलवे की वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in > Dept./Div. of SECR -> DIVISIONS -> RAIPUR -> PERSONNEL -> NOTIFICATION में उल्लेखित दिवसों पर भी देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
2. आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2022 से 15.09.2022 तक प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 17.00 बजे तक एवं दिनांक 16.09.2022 को 15.00 बजे तक वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय के भंडार अनुभाग में रखे निविदा पेटी में जमा किया जा सकता है।
3. दिनांक 16.09.2022 को 15.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. दिनांक 16.09.2022 को 15.30 बजे निविदा खोली जायेगी।

(सुशील कुमार लकड़ा)

सहायक कार्मिक अधिकारी - I

कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

रायपुर मंडल

निविदा दस्तावेज

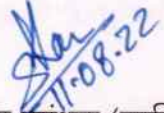
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रायपुर परिसर में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे कर्मचारी कैंटीन के बाहरी (आउटसोर्सिंग) माध्यम से एक वर्ष दिनांक

01.10.2022 से 30.09.2023 तक संचालन हेतु

निविदा सूचना सं: ई/ पी.बी./ आर/ भंडार/ 2019/ 05 दिनांक 20.08.2022

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
रायपुर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील
पता:
.....


मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/ रायपुर
एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
रायपुर

निविदा प्रपत्र सं :

निविदा सूचना सं : ई/ पी.बी./ आर/ भंडार/ 2019/ 05 दिनांक 20.08.2022

कार्य का नाम : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
रायपुर परिसर में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे
कर्मचारी कैंटीन के बाहरी (आउटसोर्सिंग) माध्यम से एक वर्ष
दिनांक 01.10.2022 से 30.09.2023 तक संचालन हेतु

जमाकर्ता :

पता -

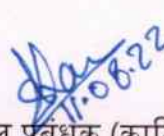
अग्रिम राशि : 10000 /- (दस हजार रुपये)

रसीद सं : दिनांक

बैंक का पता :

- अ. निविदा आवेदन के साथ जरूरी अग्रिम राशि (अपेक्षित प्रपत्र में) संलग्न करें।
आ. निविदाकर्ताओं के शर्तों के साथ संलग्न निविदाओं को रद्द किया जा सकता है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील
पता:


मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/ रायपुर
एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से


कैंटीन संचालन हेतु नियमावली

1. कैंटीन का संचालन कार्यालय कर्मचारी/ आगंतुकों के लिए होगा।
2. कैंटीन संचालन हेतु मंडल रेल प्रबंधक/ द.पू.म.रेलवे/ रायपुर के कार्यालय परिसर में एक भवन जिसमें किचन, भोजन कक्ष एवं सभंडार कक्ष की व्यवस्था है। रेलवे द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस किराया पर उपलब्ध करायी जा सकेगी।
3. ठेकेदार को समिति के तरफ से केवल निर्णित सुविधाएँ जैसे फर्नीचर, रसोई के बड़े बर्तन, फ्रिज, ग्राइंडर, मिक्सर आदि दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा नहीं दी जायेगी।
 - अ. समिति द्वारा फिल्टर वाटर कूलर एवं उपलब्ध कराई गई उपरोक्त सामग्रियों का स्थानांतरण किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा।
 - ब. ठेकेदार के द्वारा कैंटीन संचालन समिति के समक्ष इंडेमिनिटी बांड स्टॉम्प पेपर में प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें यह उल्लेखित होगा कि समिति द्वारा प्रदान किये गए सारे फर्नीचर एवं अन्य उपकरण ठेकेदार द्वारा करार अवधि के बाद यथावत स्थिति में वापस न कर पाने की हालत में सारे उपकरणों की निवर्तमान बाजार मूल्य के दुगुनी दाम के बराबर राशि की भरपाई करने को बाध्य होगा।
 - स. उपलब्ध कराई गई समस्त सामग्रियों की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं सभी सामग्रियों को यथावत स्थिति में ठेकेदार को रखना अनिवार्य है। इस रख - रखाव के लिए सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
4. बिजली, पानी एवं कैंटीन का लाइसेंस फीस रेल नियमों के तहत समिति द्वारा निर्धारित की गई दर से देय होगा।
5. कैंटीन संचालन का कार्यकाल केवल एक वर्ष का होगा। सही संचालन पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
6. ठेकेदार को कैंटीन की साफ - सफाई, बैठने की व्यवस्था, खाने - पीने की वस्तुओं की मात्रा एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा।
7. कैंटीन में बेचे जानेवाली हर खाद्य सामग्री के उत्कृष्ट गुणवत्ता की जाँच कच्चे माल से लेकर कोई भी खाद्य सामग्री तक संचालन समिति करेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता जिसे समिति द्वारा उजागर किये जाने पर फर्म के ठेकेदार के द्वारा तत्काल सुधार किया जाना चाहिए अन्यथा अनिवार्य टोकन पेनाल्टी समिति द्वारा जारी की जा सकती है। फर्म द्वारा किसी भी अनुदेश की अवहेलना पर विशेषतः खाद्य पदार्थ की उत्कृष्ट गुणवत्ता पर ध्यान न देने पर समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ठेका एक सप्ताह के नोटिस पर निरस्त कर सकता है एवं धरोहर राशि जप्त कर सकता है।
8. कैंटीन में बनाये जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची आवश्यकता पडने पर अन्य नवीन मदों का समावेश करने का अधिकार समिति को रहेगा, जिसका दर उभय पक्ष द्वारा आम सहमति से तय किया जायेगा।
9. कैंटीन संचालन हेतु ठेकेदार को धरोहर राशि (सिक्यूरिटी राशि) ` 50000 /- (पचास हजार रुपये) मात्र धनादेश के रूप में सचिव, मंडल कर्मचारी लाभ निधि/ द.पू.म.रेलवे/ रायपुर के नाम पर जमा कराना होगा। ठेकेदार द्वारा अग्रिम राशि 10000 /- (दस हजार रुपये), जो कि निविदा भरते समय जमा की जानी है धरोहर राशि (सिक्यूरिटी राशि) ` 50000 /- में समायोजित की जा सकेगी तथा शेष राशि ` 40000 /- (चालीस हजार रुपये) उपरोक्त उल्लेखित नाम से जमा करना होगा।
10. कैंटीन में शराब व धूम्रपान वर्जित होगा। यदि कोई व्यक्ति कैंटीन में शराब या मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कैंटीन ठेकेदार की होगी। यदि ऐसा पाया जाता है तो ठेकेदार के ऊपर जुर्माना लगाया जायेगा जो कि कम से कम ` 1000 /- (एक हजार रुपये) होगा तथा ठेका तुरंत प्रभाव से रद्द किया जा सकता है।
11. किसी प्रावधान के अनुपालन पूर्ण न कर पाने की स्थिति में ठेके के करार को दृष्टिगत रखते हुए समिति को प्रत्येक अवसर पर ` 1000 /- (एक हजार रुपये) तक का दंड अधिरोपित करने/ लगाने का अधिकार होगा और इस प्रकार का दंड जब कभी भी ठेकेदार को लगाया जायेगा तो उसे उस राशि का भुगतान करना होगा। ऐसे दंड देने का अधिकार वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी/ रायपुर को होगा। अगर इस प्रकार का दंड तीन बार से अधिक हो जाता है तो ठेका निरस्त किया जा सकता है।

12. कार्यालय के कार्य दिवसों में कैंटीन समयानुसार प्रातः 8.00 बजे से सायं 20.00 बजे तक एवं शनिवार को प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 14.00 बजे तक खुला रखना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पडने पर समय में परिवर्तन करने का अधिकार समिति को रहेगा।
13. राष्ट्रीय प्रेम भावना के साथ प्राइवेट ठेकेदार को कर्मचारियों के साथ भाईचारे का व्यवहार तथा शांति बनाये रखनी होगी। कैंटीन में एक एक शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखना अनिवार्य होगा।
14. कैंटीन से निकला कचरा, कचरापात्र में डालना प्राइवेट ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
15. यदि कैंटीन की खान – पान की व्यवस्था में किसी प्रकार की विपैली चीज या नशे वाली चीजें मिली तो प्राइवेट ठेकेदार जिम्मेदार होगा तथा इसके लिए प्राइवेट ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। Food, Safety & Standard Act – 2006 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
16. ठेकेदार को निष्पक्ष भाव से कैंटीन चलाना होगा और संचालन समिति के निर्णित बिंदुओं के आधार पर कैंटीन का संचालन होगा।
17. कैंटीन संचालन के लिए किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय संचालन समिति का होगा।
18. कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों को कोई संक्रामक बीमारी न हो, इसकी जाँच रिपोर्ट कैंटीन शुरू करने के पूर्व समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसकी डॉक्टरी जाँच की रिपोर्ट हर वर्ष ठेकेदार द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी।
19. कैंटीन में कम से कम 2 कुक व 4 वेटर होना जरूरी है। कैंटीन ठेकेदार के कर्मचारी वयस्क होने चाहिए। आवश्यकता पडने पर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम वेजेस एक्ट एवं श्रम कानून के सभी संबंधित अनुबंधों का अनुपालन करना कैंटीन ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। कैंटीन बिल्डिंग का प्रयोग ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों के द्वारा निवास या अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं होगा।
20. कैंटीन में कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों को यूनिफार्म एवं बैच पहनना जरूरी है। कर्मचारियों को पहनने हेतु यूनिफार्म एवं बैच ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
21. उपरोक्त नियमों में समय-समय पर संशोधन समिति द्वारा किया जा सकेगा। समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा जिसे ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होगा।
22. खाद्य वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत यदि स्थानीय निकाय/ राज्य शासन द्वारा अधीघोषित नियमों में आवश्यक अनुमति/ लाइसेंस ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा।
23. ठेका निरस्त होने की स्थिति में उपलब्ध कराये गये समस्त सामानों को यथावत स्थिति में समिति को वापस करने पर ही धरोहर राशि वापस की जा सकेगी।
24. उपरोक्त सभी मदों/ नियमों/ शर्तों की सहमति बाबत इकरार नामा निविदा में सफल घोषित किए गए ठेकेदार के द्वारा 100/- (एक सौ रुपये) के गैर न्यायिक (नॉन ज्यूडिशियल) स्टॉम्प पेपर पर एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। कैंटीन संचालन हेतु अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रथम 40000/- (चालीस हजार रुपये) का डी.डी. (धनादेश) जैसा कि क्रमांक 09 में उल्लेखित है जमा करना अनिवार्य है।

25. प्रस्तावित दैनिक मेनू सूची -

दैनिक वस्तु	साप्ताहिक वस्तु
1. दोसा 2. मसाला दोसा 3. इडली 4. बड़ा	1. पूड़ी सब्जी - सोमवार 2. मक्खन ब्रेड - मंगलवार 3. ब्रेड ऑमलेट - बुधवार 4. वेज कटलेट - गुरुवार 5. उपमा - शुक्रवार
मध्याह्न/ दैनिक - भोजन मेनू	नाश्ते में
1. थाली 2. अंडा करी 3. पूरी - सब्जी	1. ढोकला - सोमवार/ बुधवार/ शुक्रवार 2. मिक्चर/ सलोनी - प्रतिदिन 3. समोसा/ आलूचाप/ सादा दोसा/ मसाला दोसा - प्रतिदिन 4. वेज नूडल्स - मंगलवार/ गुरुवार

(सुशील कुमार लकड़ा)

सहायक कार्मिक अधिकारी - I

कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

निविदा अनुसूची एवं विशेष शर्तें

निविदा सूचना सं: ई/ पी.बी./ आर/ भंडार/ 2019/ 05 दिनांक 20.08.2022

कार्य का विवरण	मानक दर	गुणक दर की विधि	प्रस्तावित दर (अंकों एवं शब्दों में) स्पष्ट रूप से अंकित की जावें
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ रायपुर में संचालित करना	मानक दर हेतु विभागीय सूची संलग्न है	संलग्न किए गये मानक दर के सूची के सापेक्ष % (प्रतिशत) दर ज्यादा या कम	

1. निविदाकर्ताओं को चाहिए कि केवल इस शीट के निर्धारित स्थान पर ही एकल दर का उल्लेख करें। प्रत्येक मदों के लिए अलग – अलग दर अथवा दरों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. निविदा के लिए दरों का उल्लेख अंकों तथा शब्दों दोनों में किया जाये। किसी विसंगति के मामले में शब्दों में उल्लेखित दर को प्रस्तावित दर के रूप में स्वीकार किया जायेगा।
3. प्रस्तावित दर में संशोधन वर्जित है इसमें किसी प्रकार की काँट – छाँट न की जावे, अपरिहार्य परिस्थिति में की गई त्रुटि स्पष्ट रूप से पुनः दर्शायी जा सकती है, जिसे स्वसत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2022 से 15.09.2022 तक प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 17.00 बजे तक एवं दिनांक 16.09.2022 को 15.00 बजे तक वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय, रायपुर के भंडार अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को द.पू.म.रेलवे की वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in > Dept./Div. of SECR -> DIVISIONS -> RAIPUR -> PERSONNEL -> NOTIFICATION में उल्लेखित दिवसों पर भी देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
5. बंद आवेदन प्रपत्रों (अपेक्षित प्रपत्र में बयाना राशि के साथ) को वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय के भंडार अनुभाग में रखे निविदा पेटी में दिनांक 20.08.2022 से 15.09.2022 तक प्रत्येक कार्यदिवसों में तथा दिनांक 16.09.2022 को 15.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। दिनांक 16.09.2022 को 15.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. दिनांक 16.09.2022 को 15.30 बजे निविदा खोली जायेगी।
7. अग्रिम राशि (अपेक्षित प्रपत्र में) के अभाव में जमा किए गए बंद आवेदन प्रपत्र रद्द कर दिए जायेंगे। अग्रिम राशि के अपेक्षित प्रपत्र – सचिव, मंडल कर्मचारी लाभ निधि/ द.पू.म.रेलवे/ रायपुर (Secretary, Divisional Staff Benefit fund/ SEC Railway/ Raipur) के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी माँग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट)/ बैंकर्स चेक या मंडल खजांची (कैशियर)/ द.पू.म.रेलवे/ रायपुर द्वारा जारी रसीद के रूप में किया जा सकता है। मंडल खजांची (कैशियर)/ द.पू.म.रेलवे/ रायपुर के पास नकद जमा करने हेतु निविदाकर्ता को पूर्व में चलान की माँग करनी होगी, जो मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/ रायपुर के द्वारा जारी किया जायेगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नवीनतम
फोटोग्राफ

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रायपुर परिसर में
कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे कर्मचारी कैंटीन के संचालन हेतु (बाहरी माध्यम से) आवेदन पत्र का

प्रारूप

क्र.	विषय वस्तु	विवरण
01	नाम	
02	पिता का नाम	
03	पत्र व्यवहार का स्थायी पता	
04	वर्तमान में व्यवसाय	
05	शैक्षणिक योग्यता	
06	कैंटीन संचालन हेतु कार्य का अनुभव एवं विवरण (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
07	यदि पूर्व में रेलवे में कहीं कार्य किया हो तो उसका पूरा विवरण दें कि कहाँ पर/ किस पद पर कार्य किया है (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
08	कोई क्रिमिनल केस लंबित/ विचाराधीन तो नहीं है, यदि है तो उसका पूरा विवरण देवें	
09	पैन क्र (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
10	मैं समिति द्वारा सूचीबद्ध मदों की मूल्य सूची/ प्रस्तावित दर संलग्न कर रहा हूँ	

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त संपूर्ण जानकारी सही हैं, यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती हैं तो उसका मैं पूरी तरह से जिम्मेदार रहूँगा।

स्थान :

गवाह के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम..... नाम.....

सूचीबद्ध मदों की मूल्य सूची

क्र.	सामाग्री	खाद्य सामाग्री की अनुपात	प्रस्तावित विभागीय मूल्य दर
1	थाली (एक दाम)		35.00 /-
	क. चावल	100 ग्राम	
	ख. रोटी /पराठा	04 प्रति	
	ग. दाल	100 ग्राम	
	घ. सब्जी दो प्रकार	75 ग्राम प्रत्येक के लिए	
	ड. आचार	10 ग्राम	
	च. सलाद	50 ग्राम	
	छ. सूखा पापड	01 प्रति	
2	अंडी करी	01 प्रति	10.00 /-
3	मसाला दोसा	01 प्रति	18.00 /-
4	सादा दोसा	01 प्रति	15.00 /-
5	मसाला उपमा	150 ग्राम	10.00 /-
6	इडली	01 प्लेट (में 03 नग) 01 नग प्रति 75 ग्राम	10.00 /-
7	सांबर बडा	100 ग्राम	10.00 /-
8	मूंग बडा	100 ग्राम	10.00 /-
9	पूड़ी सब्जी	04 प्रति	12.00 /-
9 (अ)	पूड़ी सब्जी	05 प्रति/ आलू चना की सब्जी	15.00 /-
10	ढोकला	50 ग्राम	8.00 /-
11	मिक्सचर /सलोनी	50 ग्राम	5.00 /-
12	कटलेट /समोसा	02 प्रति	10.00 /-
13	मक्खन ब्रेड	02 प्रति	8.00 /-
14	ब्रेड आमलेट	02 प्रति ब्रेड (01 अंडा आमलेट सहित)	12.00 /-
15	वेज नूडल्स	100 ग्राम	10.00 /-
16	बालू साही	50 ग्राम	6.00 /-
17	लड्डू मगज	50 ग्राम	5.00 /-
18	गुलाब जामुन	30 ग्राम	5.00 /-
19	रसगुल्ला	30 ग्राम	5.00 /-
20	चाय	75 मिलि.	5.00 /-
21	नेस्कैफे	75 मिलि.	6.00 /-
22	फ्रुट जूस	150 मिलि.	13.00 /-
23	लस्सी	150 मिलि.	15.00 /-
		100 मिलि.	10.00 /-
24	कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट एवं अन्य खाद्य सामाग्री		दर्शाये गए मूल्य अनुसार

(सुशील कुमार लकड़ा)

सहायक कार्मिक अधिकारी - I

कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

✓